भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3775
12.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

चीनी लिथियम-आयन बैटरियों पर निर्भरता

3775. **श्री के. सुधाकरनः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार यह मानती है कि भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त होने वाली 75 प्रतिशत से अधिक लिथियम-आयन बैटरियाँ वर्तमान में चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया से आयात की जाती हैं और यदि हाँ, तो इस निर्भरता का घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत स्वीकृत घरेलू गीगा-फैक्ट्री परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा वर्ष 2024-25 में चालू परियोजनाओं की संख्या कितनी है और कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या गैर-चीनी मार्गों से लिथियम, कोबाल्ट और निकिल की आपूर्ति सहित महत्वपूर्ण खनिज आत्मनिर्भरता के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या उन्नत रसायन सेल बैटरी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त न किए जा सके उत्पादन लक्ष्यों की कोई समीक्षा की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): जी हां, भारत, अपने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और संवर्धन हेतु अन्य बातों के साथ-साथ लिथियम आयन बैटरी और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए अन्य एशियाई देशों पर निर्भर है, जिससे उद्योग को आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों और मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। वैश्विक बैटरी मूल्य श्रृंखला का अधिकांश आयात चीन से होता है, क्योंकि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उस देश की महत्वपूर्ण विद्यमानता है।

(ख): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा प्रशासित उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम नामत: "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" के तहत, 4 लाभार्थी फर्मों को कुल 40 गीगावाट एसीसी क्षमता प्रदान की गई है, और परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में एक लाभार्थी फर्म ने पायलट परियोजना के तहत 1 गीगावाट एसीसी क्षमता की संस्थापना की पुष्टि की है।

(ग): खान मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2025 को 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों की अवधि के लिए 16,300 करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और अन्य हितधारकों द्वारा 18,000 करोड़ रुपये के प्रत्याशित निवेश के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के शुभारंभ को मंजूरी प्रदान की है। एनसीएमएम का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है, जिसमें खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर धातुशोधन, प्रसंस्करण और प्रयोग अवधि समाप्त उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक के सभी चरण शामिल हैं।

खनिज संसाधनों से समृद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से, खान मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, कोट डी आइवर जैसे अनेक देशों की सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

खान मंत्रालय ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की भी स्थापना की है, जिसका उद्देश्य, विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट आदि जैसे खनिजों को लक्षित करके, महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व वाली विदेशी खनिज परिसंपत्तियों की पहचान करना और उनका अधिग्रहण करना है, । केएबीआईएल ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों के अन्वेषण और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के एक प्रांत के स्वामित्व वाले उद्यम कैमयेन के साथ एक अन्वेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और लिथियम अन्वेषण एवं खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। केएबीआईएल अन्य भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के साथ मिलकर आस्ट्रेलिया में बड़े मूल्य की परियोजनाओं में संयुक्त निवेश की संभावना भी तलाश रहा है।

खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी), भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों (आईसीईटी) संबंधी पहल जैसे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भी काम कर रहा है।

(घ): जी हां, लाभार्थी फर्मों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक समीक्षा/कार्यशालाएं और त्रैमासिक क्षेत्र दौरे आयोजित किए जाते हैं।

******